

124

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 43/2021

1. राधेश्याम पुत्र जीवणराम, जाति महाजन, निवासी अजीतगढ, तहसील व जिला झुंझुनू (राज0)।
2. नन्दलाल पुत्र जीवणराम, जाति महाजन, निवासी अजीतगढ, तहसील व जिला झुंझुनू (राज0)।
3. कैलाश पुत्र जीवणराम, जाति महाजन, निवासी अजीतगढ, तहसील व जिला झुंझुनू (राज0)।

— अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनू (राज0)।

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.04.2021 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम राधेश्याम वगैरह, मुकदमा नं० 01/2021 अ0धारा 91 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित:-

1. श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोजेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 16.08.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 20.04.2021 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश हुई। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का अजीतगढ ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम अजीतगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 182 कुल रकबा 4.25 हैक्टेयर गै0मु0 बणी में से 851 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी राधेश्याम, नन्दलाल, कैलाश पुत्रान् जीवणराम जाति महाजन निवासी अजीतगढ ने 851 वर्गमीटर भूमि पर पत्थर लगाकर तारबन्दी कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल अपीलान्ट्स को राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया बाद नोटिस तामिल शामिल पत्रावली किया गया। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित होकर जबाब नोटिस मय ज्ञान पंचायत अजीतगढ सरपंच द्वारा जारी पट्टा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

मामले का दिनांक 20.04.2021 को प्रार्थीगण को बिना सुने ही निर्णय कर दिया एवं प्रार्थीगण को अतिक्रमी मानकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया इससे व्यथित जाकर यह अपील निम्नलिखित अनुसार पेश है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.04.2021 खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थीगण को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तथाकथित अतिक्रमण काफी पुराना है और वास्तविक रूप से मौके पर उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है। प्रार्थीगण के पास अपने पिता के समय का वादग्रस्त भूमि का ग्राम पंचायत अजीतगढ से दिनांक 15.05.1972 कुल क्षेत्रफल 900 वर्गगज का आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है। उक्त आवासीय पट्टा प्रार्थीगण के पिता के नाम से जारी किया गया है। राजनैतिक दबाव के कारण बिना मौके की जांच किये ही अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध उक्त गलत कार्यवाही करवाई है। मौके पर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 4.25 हैक्टेयर बसी हुई है जिसमें करीब 30-35 परिवार मय परिवार पक्के मकानात् बना रखे हैं मय परिवार रहवास कर रहे हैं। मौके पर रहवास करने वाले लोगों के पास विद्युत एवं पानी के कनेक्शन है। प्रार्थीगण के पास रहने के लिए और कोई पर्याप्त जगह नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने ज्यूरिडिक्शन होकर कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने में सही कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट को साक्ष्य से साबित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक प्रार्थीगण के पास ग्राम पंचायत अजीतगढ द्वारा जारी पट्टा सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया दिया जाता है तब तक प्रार्थीगण को अतिक्रमी नहीं मान सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को अतिक्रमी मानने में भारी कानूनी भूल की है। मामले में बिना बहस सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ में नहीं आता है। अदालत मातहत का निर्णय इलिगल परवर्स एवं विदाउट ज्यूरिडिक्शन है। अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट्स अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार मण्डावा दिनांक 20.04.2021 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थीगण को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तथाकथित अतिक्रमण काफी पुराना है और वास्तविक रूप से मौके पर उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है। प्रार्थीगण के पास अपने पिता के समय का वादग्रस्त भूमि का ग्राम पंचायत अजीतगढ से दिनांक 15.05.1972 कुल क्षेत्रफल 900 वर्गगज का आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है। मौके पर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 4.25 हैक्टेयर बसी हुई है जिसमें करीब 30-35 परिवार मय परिवार पक्के मकानात् बना रखे हैं मय परिवार रहवास कर रहे हैं। मौके पर रहवास करने वाले

के पास विद्युत एवं पानी के कनेक्शन है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक ग्राम पंचायत अजीतगढ द्वारा जारी पट्टा सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं किया जाता है तब तक प्रार्थीगण को अतिक्रमी नहीं मान सकते। बहस के दौरान वकील अपीलान्त ने जिला कलक्टर झुंझुनूं द्वारा विवादित भूमि की किस्म चारागाह से बारानी सोयम में रूपान्तरित करने हेतु लिखे गये पत्र दिनांक 02.02.1977 एवं जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 25.04.1977 की प्रति पेश की। वकील अपीलान्त ने कथन किया कि विवादित भूमि चारागाह से बरानी सोयम है जिसको आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु अर्ज किया गया है। अदालत मातहत को उक्त भूमि पर धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्त्स अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार मण्डावा दिनांक 20.04.2021 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध करते हुए उक्त प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि राजकीय किस्म गै0मु0बणी जिस पर अपीलान्त को अतिक्रमण करने का कोई हक नहीं है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्त को उक्त अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि गैरसायल द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत का पट्टा दिनांक 25.02.1972 को जारी किया गया है जबकि जिला कलक्टर द्वारा विवादित भूमि की किस्म चारागाह से बरानी सोयम में रूपान्तरित करने हेतु दिनांक 02.02.1977 को लिख गया है एवं जिला कलक्टर द्वारा ग्राम पंचायत को आदेश दिनांक 25.04.1977 द्वारा आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित की है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत पट्टे को सही नहीं माना जा सकता है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 बणी (चारागाह) रही है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का रिकार्ड पर भी उल्लेख नहीं है। जमाबन्दी में भी विवादित भूमि की किस्म आबादी दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
 16/8/21
 जिला कलक्टर, झुंझुनूं